**संख्या-100/2016/2131/35-3-2016-1(51)/2015**

**प्रेषक,**

मुकुल सिंहल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

**सेवा में,**

जिलाधिकारी/जिला रजिस्ट्रार नागरिकता पंजीकरण,
जनपद-इटावा, महोबा, सोनभद्र, सम्भल, बुलन्दशहर, बागपत, हापुड़, सहारनपुर, मुजफफरनगर, रायबरेली, कांशीरामनगर, श्रावस्ती, गोण्डा, बदायूँ, गोरखपुर, कुशीनगर, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, संतरविदासनगर (भदोही), मिर्जापुर।

**नियोजन अनुभाग-3** **लखनऊः दिनांक 27 अक्टूबर, 2016**

**विषयः राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अद्यतन करने के संबंध में।**

महोदय/महोदया,

नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-49/2016/1373/35-3-2016-1(51)/2015, दिनांक 10.06.2016 द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अद्यतन करने संबंधी क्षेत्रीय कार्य के समापन के उपरांत गणना ब्लाकसार की ऑनलाइन प्रविष्टि का कार्य 12 मार्च,2016 तक पूर्ण कराने तथा शासन के पत्र संख्या-48/2016/1144/35-3-2016-1(51)/2015, दिनांक 08.06.2016 एवं मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-57/2016/1539/35-3-2016-1(51)/2015, दिनांक 20.07.2016 के द्वारा समस्त जिलाधिकारी/जिला रजिस्ट्रार नागरिकता पंजीकरण, उ0प्र0 को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के क्षेत्र कार्य के उपरांत प्राप्त होने वाले संशोधनों एवं नए सदस्यों की सूचनाओं को डेटाबेस में समाहित करने हेतु डाटा सेन्टरों की स्थापना करवाते हुए इस कार्य को 120 दिवसों में पूर्ण करवाने हेतु निर्देश जारी किये गये थे। इस संबंध में आवश्यक प्रक्रिया अपनाते हुए सेवा प्रदाता का चयन कर इस कार्य को प्रारम्भ करवाना था। इसके साथ ही साथ आपको यह भी अवगत कराया गया है कि भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अर्धशासकीय पत्र संख्या-9/26/2015-सीआरडी(एनपीआर) Vol-II दिनांक 04 जुलाई, 2016 द्वारा यह सूचित किया गया है कि भारत सरकार द्वारा अद्यतन एनपीआर डाटाबेस को डायरेक्ट बेनीफिट ट्रान्सफर (DBT) हेतु प्रयोग करने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु डीबीटी प्लेटफार्म तैयार करने के उद्देश्य से एनपीआर डाटाबेस में संशोधनों को समाहित करते हुए अंतिम रूप शीघ्र प्रदान किया जाना है।

2- जनगणना कार्य निदेशालय, उ0प्र0 द्वारा शासन के संज्ञान में लाया गया है कि आपके जनपदों में प्रिशक्षण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त भी प्रश्नगत कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। यह स्थिति संतोषजनक नहीं है। अत: अनुरोध है कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अद्यतन करने संबंधी कार्य में क्षेत्र से प्राप्त संशोधनों एवं नए व्यक्तियों को डेटाबेस में समाहित करने संबंधी कार्य सम्पन्न करवाने के उद्देश्य से सेवा-प्रदाता (वेंडर) के चयन हेतु समस्त औपचारिकताएं अविलम्ब पूर्ण कर ली जायॅ एवं यह तैयारी पूर्ण होने की सूचना नियोजन अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन एवं जनगणना कार्य निदेशालय, लखनऊ को तत्काल प्रेषित कर दी जाय जिससे यह कार्य अपने निर्धारित समय में पूर्ण किया जा सके।

भवदीय

( **मुकुल सिंहल**)
प्रमुख सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

**संख्या-100/2016/2131 (1)/35-3-2016, तददिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, 2/ए मानसिंह रोड,नई दिल्ली-110011
2. मण्डलायुक्त- कानपुर नगर, चित्रकूट, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मेरठ, आजमगढ, गोरखपुर, वाराणसी, बरेली, देवीपाटन, सहारनपुर, लखनऊ एवं अलीगढ मण्डल।
3. संयुक्त निदेशक,जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तर प्रदेश को उनके पत्र सं0-डीसीओ-यूपी/डीडीई/एसपीएमयू/299 दिनांक 18**-10-2016** के संदर्भ में।

आज्ञा से

(**अबरार अहमद**)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।